वित्तीय दिशा निर्देश 2012–13

कार्यक्रम का नाम– Utilising Services of ASHAs for ensuring spacing in birth and incentivizing her for the effort

बजट क्रम संख्या /एफ०एम०आर० कोड संख्या – A.3.5.5

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण –

आशा के लिए जन्म में अंतराल सुनिश्चित कराने वाली योजना : "आदर्श दम्पत्ति योजना":

इस योजनान्तर्गत आशा की सेवाऐं नवविवाहित दम्पत्तियों को शादी के दो वर्षों पश्चात् पहले बच्चे के जन्म में तथा एक बच्चे वाले दम्पत्तियों को पहले बच्चे के पश्चात् दूसरे बच्चे के जन्म में तीन वर्षों का अंतराल तथा दो शिशुओं के जन्म के उपरान्त स्थाई विधि अपनाने के लिये परामर्श देने में ली जानी है।

इकाई राशि (रू० में) एवं वित्तीय दिशा निर्देश–

आदर्श दम्पत्ति योजना अंतर्गत आशा को उत्प्रेरित करने पर निम्नांकित प्रोत्साहन राशि देय है:

- आशा द्वारा नवविवाहित दम्पत्तियों को उत्प्रेरित कर शादी के दो वर्ष पश्चात् पहले बच्चे का जन्म सुनिश्चित करवाने पर आशा को `500/– (पाँच सौ रुपये) देय है।
- आशा द्वारा एक संतान वाले दम्पत्तियों को उत्प्रेरित कर पहले बच्चे एवं दूसरे बच्चे के जन्म में तीन वर्षों का अंतराल सुनिश्चित कराने पर `500/– (पाँच सौ रुपये) आशा को देय है।
- आशा द्वारा दो बच्चों वाले दम्पत्तियों को उत्प्रेरित कर परिवार नियोजन का स्थायी विधि सुनिश्चित करवाने पर `1000/– (एक हज़ार रुपये) आशा को देय है।
- यह योजना 16 मई 2012 से लागू है।
- इस योजना अन्तर्गत परिवार कल्याण नोडल पदाधिकारी/ACMO के साथ DCM उपं BCM की महत्वपूर्ण भूमिका है।

नोट:

1. आशा को प्रोत्साहन राशि का भुगतान तभी किया जाएगा जब वह इस योजना अन्तर्गत सफलतापूर्वक किसी दम्पत्ति को बच्चों में निर्धारित समय के लिए अंतर रखने के लिए या परिवार नियोजन के स्थायी विधि के लिए सफलतापूर्वक परामर्श देती है। प्रोत्साहन राशि का भुगतान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर से ही किया जाना है तथा इसका संग्रहण BHM/प्रखण्ड स्तर के लेखापाल करेंगे (As per exsiting system)। इसका सत्यापन ए.एन.एम./एल.एच.वी. द्वारा किया जा सकता है।
2. पिछले तीन वर्षो की उपलब्धि के विश्लेषणोंपरान्त पाया गया है कि राज्य में दूसरे बच्चों के उपरान्त बंध्याकरण ऑपरेशन 16.6 प्रतिशत किया जाता है। इस आधार पर जिलों को अपेक्षित लक्ष्य(ELA) निर्धारित किया गया है। इसके अनुरूप हीं बजट का निर्धारण किया गया है।

उपरोक्त के संदर्भ में विस्तरित निर्देशिका पत्र के माध्यम से सभी जिलों को उपलब्ध करा दी जायेगी।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/उप–निदेशक का नाम – डॉ० ए. के., शाही,/सुबोध जायसवाल
संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/उप–निदेशक का फोन नं० : 9470003017/ 9431005971

Skumar